प्रेस विज्ञप्ति
13.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने फरवरी 2025 में अमेरिका से निकाले गए भारतीयों से संबंधित 'डन्की रूट मामले' में धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब और हरियाणा के मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में 7 स्थानों पर 11.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। ये तलाशी ईडी द्वारा 09.07.2025 को की गई तलाशी के दौरान प्राप्त निष्कर्षों और साक्ष्यों पर आधारित थी।

ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

तलाशी के दौरान, विभिन्न विदेशी देशों के जाली उत्प्रवास टिकट, वीज़ा टेम्पलेट, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। यह भी पता चला कि विदेशी देशों के जाली उत्प्रवास टिकट और वीज़ा टेम्पलेट टिकटों का इस्तेमाल विदेश यात्रा के इच्छुक प्रवासियों के वीज़ा/रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए किया जाता था। ऐसे हेरफेर किए गए वीज़ा रिकॉर्ड के साथ, प्रवासियों ने विदेश यात्रा करने और वहाँ बसने के लिए जोखिम भरे 'डन्की रूट' को चुना। जाली उत्प्रवास टिकटों का इस्तेमाल नकली वीज़ा तैयार करने के लिए किया गया और उसी का इस्तेमाल डोनकर्स के लिए विदेश यात्राओं के लिए किया गया। विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जो इंगित करते हैं कि तलाशी लिए गए व्यक्ति अवैध 'डन्की रूट' व्यवसाय से पीओसी बनाने में शामिल थे। तलाशी के दौरान पता चला कि उपरोक्त घोटाले में शामिल ट्रैवल एजेंटों/बिचौलियों ने अपराध से अर्जित धन से चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं।

हमारी पिछली खोजों के दौरान विभिन्न बिचौलियों, ट्रैवल एजेंटों, भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के व्यापक नेटवर्क की जांच की गई और पाया गया कि ट्रैवल एजेंट जो नियमित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं, वे भी इस तरह के कदाचार में लिप्त हैं। कुछ ट्रैवल एजेंट उचित होर्डिंग बोर्ड के बिना अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और वे गुप्त तरीके से काम करते हैं। यह नेटवर्क कुछ ऐसे लोगों को भी रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर भारतीय नागरिक होते हैं जो उचित दस्तावेजों के बिना लोगों को विदेश भेजने के अपने अवैध कारोबार के लिए विदेश में रह रहे हैं। मुख्य रूप से, ये एजेंट और बिचौलिए निर्वासित लोगों को कानूनी मार्गों पर भेजने का झूठा आश्वासन देते थे। एजेंटों के पास अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर पाए गए और वे व्हाट्सएप चैट और अन्य एन्क्रिप्टेड मोड के माध्यम से अपने विदेशी समकक्षों के साथ संवाद करते थे।

आगे की जाँच जारी है।